भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2054
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायालयों में मुकदमेबाजी

2054. श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**
(क) क्या सरकार को अपंजीकृत वसीयतों और अपंजीकृत विक्रय संबंधी समझौतों की प्रामाणिकता के संबंध में न्यायालयों में लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या के बारे में जानकारी है ;
(ख) क्या सरकार के पास मुकदमेबाजी को कम करने के लिए वसीयत और विक्रय संबंधी समझौतों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है ;
(ग) यदि हां, तो वसीयत और विक्रय संबंधी समझौतों के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में प्रस्ताव, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है ; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों तथा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न मामलों का रिकॉर्ड राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर रखा जाता है। हालाँकि, एनजेडीजी अरजिस्ट्रीकृत वसीयतों और अरजिस्ट्रीकृत समझौतों की प्रामाणिकता से संबंधित मामलों की कोई अलग श्रेणी नहीं रखता है ।

संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि संख्या 6 के अनुसार विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण एक समवर्ती विषय है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंध, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 में उन दस्तावेजों का उपबंध है, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है । रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन चाहते हुए, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2013 में राज्यसभा में रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 पुर:स्थापित किया गया था । विधेयक में अनेक सुधार अंतर्विष्ट हैं, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थावर संपत्ति के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण, चाहे संपत्ति की पट्टे की अवधि कुछ भी हो, यहां तक कि एक वर्ष से कम अवधि के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति भी शामिल है ; स्थावर संपत्ति के दस्तावेजों के देश में कहीं भी रजिस्ट्रीकरण की अनुमति ; कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क की वसूली और अतिरिक्त शुल्क की वापसी आदि का उपबंध करने के लिए हैं ।

******